(154)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2000/वैशाख 5, 1922

No. 229] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2000/VAISAKHA 5, 1922

LIBRARY

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2000

सा. का. नि. 350 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब लोक धन (देय की वसूली) अधिनियम, 1983 (1985 का पंजाब अधिनियम सं.1) का, जैसा वह इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में प्रवृत्त है, निम्नलिखित उपान्तों के अधीन रहते हुए संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ पर विस्तार करती है, अर्थात् :—

उपान्तरण

1. सम्पूर्ण अधिनियम में, ''सरकार'' शब्द या ''राज्य सरकार'' शब्द जहां कहीं भी वे आते हैं के स्थान पर ''प्रशासक'' शब्द रखा जाएगा।

2. धारा 1 में, ''पंजाब लोक धन (देय की वसूली) अधिनियम, 1983'' शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर, ''चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा विस्तारित पंजाब लोक धन (देय की वसूली) अधिनियम, 1983'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

3. धारा 2 में,—

(i) खण्ड (क) को खंड (कक) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (कक) से पहले निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(क) ''प्रशासक'' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है।''

(ii) खण्ड (क) के उप खण्ड (v) के स्थान पर निम्नलिखित उप खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(v) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) के अधीन कृषि और ग्रामीण विकास के लिए गठित राष्ट्रीय बैंक'';

(iii) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(ग) ''निगम'' से, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के अधीन स्थापित दिल्ली वित्तीय निगम अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई अन्य निगम जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, भी सम्मिलित हैं।''

4. धारा 3 और धारा 5 में, ''कलक्टर'' शब्द जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर ''प्रशासक'' शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. यू. 11015/1/99-यू.टी.एल. (2000)]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

उपाबंध

पंजाब लोक धन (देय की वसूली) अधिनियम, 1983

1983 का पंजाब अधिनियम सं. 1

(भारत के राष्ट्रपति की अनुमति तारीख 11 मार्च, 1985 को प्राप्त हुई, और पंजाब सरकार के राजपत्र (असाधारण) में विधायी अनुपूरक, तारीख 16 अप्रैल, 1985 द्वारा पहली बार प्रकाशित हुआ)

इस अधिनियम का उद्देश्य है राज्य सरकार या पंजाब वित्तीय निगम या राज्य सरकार द्वारा इस निमित अधिसूचित किसी अन्य निगम या किसी सरकारी कंपनी या बैंकिंग कंपनी के कतिपय देयों की शीघ्र वसूली।

भारत गणराज्य के 34वें वर्ष में पंजाब विधान मंडल द्वारा निम्ननिखित रूप से अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब लोक धन (देय की वसूली) अधिनियम, 1983 है।

2. **परिभाषाएं.**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बैंककारी कंपनी" से अभिप्रेत है :—

(i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथा परिभाषित कोई बैंककारी कंपनी ;

(ii) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक ;

(iii) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित कोई समनुषंगी बैंक ;

(iv) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित एक कंपनी कृषि वित्त निगम लिमिटेड ;

(v) कृषिक पुनर्वित और विकास निगम अधिनियम, 1963 के अधीन गठित कृषिक पुनर्वित और विकास निगम ;

(vi) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित तत्समय नया बैंक ;

(vii) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अधीन गठित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ; या

(viii) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 के अधीन गठित तत्समय नया बैंक।

(ख) "कलक्टर" से जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति सम्मिलित है।

(ग) "निगम" से राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अधीन स्थापित पंजाब वित्तीय निगम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई अन्य निगम जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है ;

(घ) "वित्तीय सहायता" से—

(i) किसी औद्योगिक उपक्रम की स्थापना, विस्तारण, आधुनिकीकरण नवीकरण या उसे चलाने के लिए ; या

(ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए ; या

(iii) कृषि, उद्यान-कृषि, पशुपालन या कृषि-उद्योग के विकास के लिए ; या

(iv) किसी अन्य योजनाबद्ध विकास के प्रयोजनों के लिए ; या

(v) कष्टों से राहत के लिए ;

कोई वित्तीय सहायता अभिप्रेत है ;

(ङ) "सरकारी कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कंपनी अभिप्रेत है ;

(च) "औद्योगिक समुत्थान" का वही अर्थ है जो इस पद को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 में समुदेशित किया गया है ;

(छ) "औद्योगिक उपक्रम" के अंतर्गत माल के विनिर्माण, परिरक्षण, भंडारण या प्रसंस्करण के लिए अथवा खनन या होटल चलाने या यात्रियों अथवा माल के परिवहन, या विद्युत अथवा शक्ति के किसी अन्य रूप के उत्पादन अथवा वितरण, या औद्योगिक एस्टेट के रूप में भूमि के किसी संलग्न क्षेत्र के विकास के लिए उपक्रम सम्मिलित है ;

स्पष्टीकरण :—"माल का प्रसंस्करण" पद में किसी वस्तु का शारीरिक यांत्रिक रासायनिक वेधुत या कोई अन्य समान संक्रिया द्वारा उत्पादन, तैयार करने या बनाने के लिए कोई कला या प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(ज) "राज्य प्रायोजित स्कीम' से राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देकर प्रायोजित ऐसी स्कीम अभिप्रेत है जिसके अधीन सरकार—

(i) किसी निगम या सरकारी कंपनी को ऋणों अग्रिमों या अनुदानों का संवितरण करने के प्रयोजन के लिए, या उधार अथवा अब क्रय पर माल के विक्रय के प्रयोजन के लिए धन देती है ; या

(ii) ऋण, अग्रिम या अनुदान के प्रति संदाय को या उधार अथवा अबक्रय पर विक्रय किए गए माल की कीमत के संदाय को प्रत्याभूत करती है अथवा प्रत्याभूत करने के लिए सहमति देती है।

3. **भू राजस्व के बकाया के रूप में, कतिपय देयों की वसूली.**—(i) जहां कोई व्यक्ति—(क) किसी ऋण, अग्रिम या दिए गए अनुदान से संबंधित अथवा यथास्थिति, राज्य-सरकार, किसी बैंककारी कंपनी किसी निगम या किसी सरकारी कंपनी द्वारा राज्य प्रायोजित स्कीम के अधीन विक्रय किए गए माल के संबंध में उधार या उपक्रम से संबंधित किसी करार की ; या

(ख) किसी औद्योगिक अमुत्थान द्वारा एकत्रित किए गए ऋण के संबंध में राज्य सरकार किसी बैंककारी कंपनी, किसी निगम या किसी सरकारी कंपनी द्वारा दी गई प्रत्याभूति के संबंध में किसी करार की ; या

(ग) किसी ऐसे करार की, जो यह उपबंधित करता हो कि उसके अधीन राज्य सरकार को संदेय कोई धन भूराजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगा ; पक्षकार है और ऐसा व्यक्ति—

(i) ऋण या अग्रिम या उनकी किसी किश्त के प्रति संदाय में व्यतिक्रम करता है ; या

(ii) अनुदान की शर्तों के अधीन, अनुदान या उसके किसी भाग के प्रतिदाय के लिए दायी होने पर, ऐसे अनुदान या उसके किसी भाग के प्रतिदाय में व्यतिक्रम करता है ; या

(iii) अन्यथा करार की शर्तों के अनुपालन में असफल रहता है; तब राज्य सरकार की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी और बैंककारी कंपनी, निगम या सरकारी कंपनी की दशा में उसका प्रबंध निदेशक, उसे जिस किसी नाम से भी पुकारा जाए, कलक्टर को ऐसे व्यक्ति द्वारा देय राशि को वर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र भेजकर यह प्रार्थना करेगा कि ऐसी राशि कार्यवाहियों के खर्चों सहित इस प्रकार वसूल की जाए मानो वह भू-राजस्व का बकाया है।

(2) उपधारा (1) के अधीन भेजा गया प्रमाणपत्र उसमें कथित मामले का निश्चायक सबूत होगा और कलक्टर ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर उसमें कथित राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की सम्पत्ति यथास्थिति, राज्य सरकार किसी बैंककारी कंपनी किसी निगम, किसी सरकारी कंपनी के पक्ष में बंधक प्रभार, गिरवी या किसी अन्य विललंगम के अधीन है तब—

(क) माल के गिरवी होने के प्रत्येक मामले में, पहले इस प्रकार गिरवी रखे गए माल के विक्रय के लिए कार्यवाही की जाएगी और यदि ऐसे विक्रय के आगम, देय राशि से कम हैं तब बकाया की वसूली के लिए कार्यवाही की जाएगी :

परन्तु जहां राज्य सरकार की यह राय है कि यथास्थिति, उसे बैंककारी कंपनी, निगम या सरकारी कंपनी को देय राशि की वसूली को सुरक्षित करने के लिए यह आवश्यक है तो उसके लिए जो कारण हैं उन्हें अभिलिखित करके गिरवी रखे गए माल के विक्रय की कार्यवाही से पूर्व या उसी समय देय राशि की वसूली के लिए कार्यवाही करने का निदेश दे सकेगी ;

(ख) स्थावर संपत्ति के बंधक, प्रभार या अन्य विल्लंगम के प्रत्येक मामले में, यथास्थिति, ऐसी संपत्ति या उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति के उसमें हित को, उस व्यक्ति द्वारा देय राशि की वसूली की कार्यवाही में सबसे पहले विक्रय किया जाएगा और अन्य कोई कार्यवाही केवल तभी की जा सकेगी तब कलक्टर यह प्रमाणित कर देता है कि पहले वर्णित प्रक्रिया द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर देय राशि की वसूली की संभावना नहीं है।

4. **वादों का वर्जन.**—धारा 3 के अधीन वसूलनीय किसी राशि की वसूली के लिए कोई वाद उस धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध सिविल न्यायालय में नहीं होगा और इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

5. **संग्रहण प्रभार.**—धारा 3 के अधीन कलक्टर की सेवाओं का उपयोग करने वाली कोई बैंककारी कंपनी, निगम या सरकारी कंपनी, सरकार को ऐसी दरों पर संग्रहण प्रभार का संदाय करेगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित की जाए।

6. **व्यावृत्ति.**—धारा 3 की कोई बात.—

(क) राज्य सरकार, बैंककारी, कंपनी, निगम या सरकारी कंपनी के, किसी बंधक, प्रभार, गिरवी या अन्य विल्लंगमों द्वारा किसी संपत्ति में सृजित किसी हित पर प्रभावी नहीं डालेगा ; या

(ख) किसी वाद का वर्जन नहीं करेगी या क्षतिपूर्ति की किसी संविदा अथवा उस धारा में निर्दिष्ट किसी करार के संबंध में दी गई प्रत्याभूति अथवा खंड (क) में निर्दिष्ट किसी हित के संबंध में उस धारा में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2000

G.S.R. 350(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1983 (Punjab Act No. 1 of 1985) as in force in the State of Punjab on the date of this notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

1. Throughout the Act, for the word "Government" or the words "State Government", wherever they occur, the word "Administrator" shall be substituted.

2 In section 1, for the words, brackets and figures "the Punjab Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1983", the words, brackets and figures "the Punjab Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1983 as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

3. In section 2,—

(i) clause (a) shall be re-numbered as clause (aa) and before the clause (aa) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely :—

(a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Chandigarh, appointed by the President under article 239 of the Constitution.";

(ii) for sub-clause (v) of clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(v) the National Bank of Agriculture and Rural Development constituted under the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981)";

(iii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) "Corporation," means the Delhi Financial Corporation established under the State Financial Corporation Act, 1951 (63 of 1951), and includes any other Corporation owned or comtrolled by the Central Government or the State Government which the State Government may, by notification,. specify.".

4. In sections 3 and 5, for the word "Collector", wherever it occurs, that word "Administrator", shall be substituted.

[F. No. U-11015/1/99-UTL (200)]

P. K. JALALI, Jt. Secy.

ANNEXURE

[1]THE PUNJAB PUBLIC MONEYS (RECOVERY OF DUES) ACT, 1983

PUNJAB ACT NO. 1 of 1985

[Received the assent of the President of India on the 11th March, 1985 and was first published in Punjab Government Gazette (Extraordinary), Legislative Supplement dated the 16th April, 1985].

An Act to provide for speedy recovery of certain dues of the State Government or the Punjab Financial Corporation or any other Corporation notified by the State Government in this behalf or a Government Company or a Banking Company.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. **Short Title.**— This Act may be called the Punjab Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1983.

2. **Definition.**—In this Act, unless the context otherwise requires—

(a) 'Banking company' means—

(i) a banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949;

(ii) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955,

(iii) a subsidiary banks as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 ;

(iv) the Agricultural Finance Corporation Limited, a Company incorporated under the Indian Companies Act, 1956;

(v) the Agricultural Refinance and Development Corporation constituted under the Agricultural Refinance and Development Corporation Act, 1963;

(vi) a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ;

(vii) a regional rural bank constituted under the Regional Rural Banks Act, 1976 ; or

(viii) a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980.

(b) "Collector" means a Collector of district and includes any person appointed by the State Government to perform the function of a Collector under this Act ,

(c) "Corporation" means the Punjab Financial Corporation established under the State Financial Corporations Act, 1951 and includes any other corporation owned or controlled by the Central Government or the State Government which the State Government may, by notification specify ;

(d) "Financial Assistance" means any financial assistance—

(i) for establishing, expending, modernising, renovating or running and industrial undertaking , or

(ii) for purposes of vocational training ; or

(iii) for the development of agriculture, horticulture, animal husbandry or agro-industry ; or

(iv) for purposes of any other planned development ; or

(v) for relief against distress ;

(e) "Government Company" means a Government company as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956 ;

(f) "Industrial Concern" has the meaning assigned to this expression in the State Financial Corporations Act, 1951 ;

(g) "Indusrtial undertaking" includes an undertaking for the manufacture, preservation, storage or processing of goods, or for mining, or hotel keeping, or transportation of passengers or goods, or generation or distribution of electricity or any other form of power, or development of any contiguous area of land as an industrial estate ;

Explanaion.—The expression "processing of goods" includes any art or process for producing, preparing or making an article by subjecting any material to a manual, mechanical, chemical, electrical or any other like operation ;

(h) "State-sponsored scheme" means a scheme sponsored by way of financial assistance by the State Government inder which it—

(i) advances money to a Corporation or a Government Company for the purpose of disbursting loans, advances or grants or for the purpose of sale of goods on credit or hire-purchase, or

(ii) guarantees or agrees to guarantee the repayment of a loan advance or grant or the payment of the price of goods sold on credit or hire-purchase.

3 **Recovery of certain dues as arrear of land revenue.**—(1) Where any person is a party—

(a) to any agreement, relating to a loan, advance or grant given, or relating to credit in respect of, or relating to hire-purchase of goods sold by the State Government, a banking company, a Corporation or a Government, company, as the case may be, under a State sponsored scheme, or

(b) to any agreement relating to a guarantee given by the State Government, a banking company, a Corporation or a Government company in respect of a loan raised by an Industrial Concern; or

1171 GI/2000-2

IndiaCode

(c) to any agreement providing that any money payable thereunder to the State Government shall be recoverables as an arrear of land revenue ;

and such person—

(i) makes any default in repayment of the loan or advance or any instalment thereof ; or

(ii) having become liable under the conditions of the grant to refund the grant or any portion thereof, makes any default in the refund of such grant or any portion thereof ; or

(iii) otherwise fails to comply with the terms of the agreement ;

then in the case of the State Government, such officer as may be authorised in that behalf by the State Government by notification, and in the case of a banking company, a Corporation or a Government Company, the Managing Director thereof, by whatever name called, may send a certificate to the Collector mentioning the sum due from such person and requesting that such sum together with costs of the proceedings be recovered as if it were an arrear of land revenue.

(2) A certificate sent under sub-section (1) shall be conclusive proof of the matter stated therein and the Collector on receiving such certificate shall proceed to recover the amount stated therein as an arrear of land revenue.

(3) Where the property of any person referred to in sub-section (1) is subject to any mortgage, charge, pledge or other encumbrance in favour of the State Government, a banking company, a Corporation or a Governmnet company, as the case may be, then—

(a) in every case of a pledge of goods, proceedings shall first be taken for the sale of goods so pledged and if the proceeds of such sale are less than the sum due, then proceeding shall be taken for recovery of the balance :

Provided that where the State Government is of opinion that it is necessary so to do for safeguarding the recovery of the sum due to it, a banking company, a Corporation or a Governemnt company, as the case may be, it may for reasons to be recorded in writing direct proceedings to be taken for recovery of the sum due before or at the same time as the proceedings are taken for sale of the goods pledged ;

(b) in every case of a mortgage, charge or other encumbrance on immovable property, such property or as the case may be, the interest therein of the person referred to in sub-section (1) shall first be sold in proceedings for recovery of the sum due from that person and any other proceedings may be taken only if the Collector certifies that there is no prospect of realisation of the sum due through the first mentioned process within a reasonable time.

4. **Bar of suits.**— No suit for the recovery of any sum recoverable under Section 3 shall lie in a civil court against any person referred to in sub-section (1) of that section and the provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything in any other law for the time being in force.

5. **Collection charges.**—A banking company, a Corporation or a Government company availing the services of the Collector under Section 3 shall pay collection charges to the Government at such rates as may from time to time be notified by the State Government in the Official Gazette.

6. **Saving.**—Nothing in section 3 shall—

(a) affect any interest of the State Government or banking company a Corporation or a Government company in any property created by any mortgage, charg, pledge or other encumbrance ; or

(b) bar a suit or affect any other right or remedy against any person other than a person referred to in that section, in respect of a contract of indemnity or guarantee entered in relation to an agreement referred to in that section or in respect of any interest referred to in clause (a).

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054